पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0– 03–07
क्रमांक– 67 /2017
सं0 ई/9/16/भाग–II/चार

दिनांक 12-04-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–गुड्स ड्राइवरों को देय दर के समान टावर वैगन ड्राइवरों को रनिंग भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(पी एण्ड ए)II–2014/आरएस–09 दिनांक 10.03.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

12.04.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

11.4.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
5– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

12.04.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

11.4.2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(पीएण्डए)II-2014/आरएस-09

नई दिल्ली, दिनांक: 10.03.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),
पूर्व रेलवे,
कोलकाता.

(ध्यानाकर्षण: श्री पी. गोस्वामी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय)

विषय: गुड्स ड्राइवरों को देय दर के समान टॉवर वैगन ड्राइवरों को रनिंग भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: रेलवे का दिनांक 24.06.2016 और 13.062014 का पत्र सं. पीबी/इलेक्ट/ऑप्शन/टीडब्ल्यूडी।

कृपया अपने रेलवे के संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या टावर वैगन ड्राइवर, गुड्स ड्राइवर के समान रनिंग भत्ता और 'विश्राम भंग भत्ता' पाने के हकदार हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा इस मामले पर बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 10.04.1991 और 29.04.1991 के पत्र सं. ई(पीएण्डए)II/78/आरएस-11 के अनुसार गुड्स ड्राइवरों के समान ही टीडब्ल्यूडी को 'विश्राम भंग भत्ते' सहित रनिंग भत्ते का भुगतान किया जाए।

(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक स्था. (पीएण्डए)-II
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी भारतीय रेलें/पीयूएस

AJ OFCL-PAYMENT OF RUNNING ALLOWANCE